कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान
वार्षिक रिपोर्ट 2023–2024

वर्ष 2023–2024 संस्था के लिए काफी व्यस्थता का समय रहा। कार्यकर्ताओं की सीमित संख्या होने के कारण उन्हें अधिक समय देने एवं कार्य करना पड़ा। प्रसन्नता की बात है कि गांव के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोगों के साथ समन्वय बिठाते हुए कार्यों का उद्देश्यपूर्ण ढंग से पूरा किया। इस समीक्षा वर्ष में किये गये कार्यों की तथ्यात्मक जानकारी नीचे दी गयी है। कई जानकारी सारणी के रूप में संलग्न किया गया है।

1. **वर्षा जल का कुआँ में पुर्नभरण** – वैसे तो राजस्थान के बड़े हिस्से में वर्षा की कमी तथा भू–जल का सीमित होने की समस्या है। जयपुर–टोंक जिले के बड़े क्षेत्र में नदी या बड़े पैमाने पर जल बहाव की स्थिति नहीं है। इस परिस्थिति में कुआँ, छोटे तालाब ही खेती में सिंचाई का साधन रहा है–यह बात चाकसू, कोटखावदा एवं निवाई पंचायत समिति की है। खेती क्षेत्र एवं प्रकार में पानी की आवश्यकता बढ़ने से कंओं की संख्या भी बढ़ गयी। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10–15 वर्षों तक कुंओं में पानी रहा जिसके कारण गेहूं, सरसों एवं उन्नत किस्म के बाजरा (जिसमें अधिक पानी चाहिए) आदि के क्षेत्र बढ़े। परन्तु इस अवधि के बाद सिंचाई के लिए पानी का संकट बढ़ गया। इसके समाधान में अधिक गहरा बोरिंग, साइड बोरिंग आदि के प्रयास किये गये। इन प्रयासों की भी सीमा है–नीचे का पानी भी खारा निकला। परिणाम स्वयं खेती के प्रति रूझान घटना स्वाभाविक था। कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान वर्ष 1980 से इन क्षेत्रों में भूमि विकास, जल संवर्धन का कार्य कर रहा है। मुख्य कार्य रहा मेड़बन्दी (खेत का पानी खेत में रहे), तालाब निर्माण, कुआँ गहरा करना, साईड बोरिंग आदि। तालाब में वर्षा जल के कम आवक की समस्या रही।

   इस परिस्थिति में किसानों के साथ इन समस्याओं पर चर्चा होती रहती थी। समाधान सरल नहीं था। 10 वर्ष पहले यह सुझाव आया और व्यवहारतः देखा गया कि कुंओं के पास से, वर्षा जल बह कर चला जाता है और आगे बड़े नालों से चलकर किसी नदी (मुख्यतः बनास एवं सहायक नदी) में पानी चला जाता है। प्रस्ताव आया कि

कुआँ के पास से बहनेवाले पानी का कुछ हिस्सा, पास के कुआँ में डाला जाये तो कुंओं का जल स्तर बढ़ सकता है और बहनेवाला शेष पानी आगे चला जायेगा। जहाँ दूसरे कुआँ में जलपुर्नभरण का कार्य किया जा सकता है। प्रारम्भ में 3–4 कुंओं पर इस तकनीक को मूर्त रूप दिया गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि कुआँ में गंदा, रेत भरा पानी नहीं जाये और कुआँ मिट्टी–रेत से नहीं भरे। गांव के लोगों की सलाह से वर्षा जल का कुआँ में पुर्नभरण पद्धति (तकनीक) विकसित किया गया। यह तकनीक सरल, कम लागत का तथा कुआँ में जल भराव की स्थिति को देखकर विकसित किया गया। इससे समीक्षा वर्ष में कुल 23 कुंओं पर वर्षा जल पुर्नभरण का कार्य पूरा किया गया। इससे कुआँ क्षेत्र से जुड़े 530 कृषकों की जमीन में सिंचाई के लिए पानी मिला। सिंचित भू–क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो कुल 530 बीघा कृषि क्षेत्र को पानी मिला। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, बाजरा की खेती की गयी। इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी परिशिष्ट में दी गयी है।

वर्ष 2023–2024 में कार्य के प्रभाव की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	प्रभाव की स्थिति
1.	लाभांवित कुँओं की संख्या	23
2.	लाभांवित परिवारों में सदस्यों की संख्या	530
3.	कुँओं की औसत गहराई	97 फुट
4.	कुँओं में पानी की औसत मात्रा	
	कार्य के पहले	1.95 फुट
	कार्य के बाद	5.95 फुट
5.	कुआँ में पानी बढ़ने की औसत प्रतिशत	205 प्रतिशत
6.	कुआँ पर इंजन चलने का समय	
	कार्य के पहले	58 मिनट
	कार्य के बाद	109 मिनट
7.	इंजन चलने में वृद्धि का प्रतिशत	88 प्रतिशत
8.	कुल सिंचित क्षेत्र (बीघा में)	
	कार्य के पहले	178 बीघा
	कार्य के बाद	208 बीघा
9.	कुल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत	16.85 प्रतिशत
10.	सिंचित क्षेत्र से आय – रू. में	
	कार्य के पहले	35,60,000/–
	कार्य के बाद	41,60,000/–
11.	प्रति लाभांवित को प्रति वर्ष आय में वृद्धि रू.	26,086/–

2. **<u>ईट–भट्ठों पर रह रहे परिवार के बच्चों की शिक्षा</u>** – ईट भट्टों के निर्माण करने, उसे पकाने आदि कार्य के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। खासकर ईंट बनाने के व्यापक कार्य के लिए काफी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिए ईट भट्टा क्षेत्र से दूर के मजदूर कार्य करते हैं। कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान चाकसू, कोटखावदा तथा फागी क्षेत्र के ईट भट्टों पर बाल शिक्षण का कार्य कर रहा है। इन भट्टों पर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के श्रमिक ईंट बनाने का कार्य करते हैं। श्रमिक परिवार के साथ ईंट निर्माण स्थल पर रहते हैं। उनके साथ छोटे बच्चों की पर्याप्त संख्या होती है। ईंट बनाने का कार्य वर्ष में 5–6 माह चलता है–बरसात के मौसम में यह कार्य नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। पूरे समय अपने गांव में नहीं रहने के कारण वहाँ के विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता है। इस कार्य में लगे लोग गरीब परिवार के होते हैं और उनमें पढ़ाई के प्रति खास लगाव भी नहीं होता है। कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान पिछले कई वर्षों से इन बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक की पढ़ाई कराने का कार्य कर रहा है। इस कार्य में व्यावहारिक स्थिति यह बनती है कि कार्य में लगे श्रमिक हर वर्ष बदलते रहते हैं–इस प्रकार बच्चे भी बदल जाते हैं। अतः हर वर्ष नये बच्चों को उनमें शिक्षा के स्तर के अनुरूप पढ़ाई करानी पड़ती है। सामान्यतः बच्चों को अक्षर ज्ञान, सामान्य गणित तथा पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। जो बच्चे पहले से सामान्य पढ़ाई किये रहते हैं उन्हें अलग से उनके स्तर के पढ़ने का अवसर दिया जाता है।

इस कार्य में स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में रखा जाता है। शिक्षकों को प्रारम्भ में प्रथम संस्था के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाता है। देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर बी.एड. स्तर के पुरूष–महिला शिक्षक मिल जाते हैं। इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होती है।

इस वर्ष दो क्षेत्रों में कुल 17 ईट भट्टों पर पाठशाला चल रही है जिसमें कुल 836 बालक–बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस कार्य में ईंट भट्टा मालिक का स्थान, अस्थायी शिक्षण कमरा आदि के रूप में सहयोग मिल जाता है। इसके लिए बालकों के अभिभावक तथा भट्टा मालिक को प्रेरित करने, सहयोग के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में काफी समय शक्ति लगानी पड़ती है।

3. **<u>असहाय लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग</u>** – ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों की पर्याप्त संख्या है जो अनेक कारणों से सरकार की आर्थिक, चिकित्सा एवं अन्य सेवा–सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान ने इस बारे में जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाई। इस योजना में एक सेवा भावी युवा की पहचान की, उन्हें ई–मित्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की तथा

लैपटॉप एवं अन्य साधन सुविधायें प्रदान की गयी। गांव के असहाय–असमर्थ महिला–पुरुष को मुख्यतः इन कारणों से सरकार की सुविधायें नहीं मिल पाती है या मिलने के दौरान व्यवधान आ जाता है – (1) कार्यक्रम योजना की जानकारी नहीं होना (2) योजना के कागजात पूरा करने की क्षमता का नहीं होना (3) शिक्षा की कमी–पढ़ने–समझने की कठिनाई (4) शारीरिक रूप से असमर्थ होना। (5) ई–मित्र के पास तक नहीं पहुंच पाना (6) कागजात पूरा नहीं होना (7) बैंक में खाता खोलने नहीं आना (8) ई–मित्र, बैंक आदि कार्यालयों में बार–बार जाने में असमर्थता (9) किसी कारणवश लाभ मिलना बंद होने या पुनः चालू करने नहीं आना तथा लाभार्थी की उदासीनता आदि के कारण असहाय–असमर्थ पुरुष–महिला इससे वंचित रह जाते हैं। संस्था के कार्यकर्ता गांव–घर जाकर स्वयं सभी प्रकार के कागजात एवं अन्य कार्यवाई पूरा करते हैं। यह कार्य समय–साध्य एवं भागदौड़ का है। लेकिन इस उपेक्षित समुदाय की सुविधा मिलने पर लाभार्थी को लाभ तो मिलता ही है–उनका आशीर्वाद भी मिलता है। सेवा का यह महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय यह कार्य चाकसू एवं कोटखावदा क्षेत्र के गांवों में किया जा रहा है–अन्य किसी व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता हो तो उनको भी सहयोग देने में प्रसन्नता होती है। समीक्षा वर्ष में कुल 540 परिवारों को सरकार के कार्यक्रमों का लाभ दिलाया गया। इन्हें बैंक के माध्यम से 25 लाख रू. योजना के नियमानुसार मिलना प्रारम्भ हो गया है। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दी गयी है।

4. **<u>गांधी विचार परीक्षा</u>** – कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान गांव एवं जयपुर शहर में गांधी जीवन और विचार परीक्षा आयोजन करता रहा है। यह आयोजन आर्थिक साधनों की स्थिति की सीमा में किया जाता है। पिछले दिनों जयपुर के 4 माध्यमिक–उच्च मा. विद्यालयों में किया गया – (1) प्रेम निकेतन उ.मा. विद्यालय (2) विनय भारती मा. विद्यालय (3) गीता बजाज उ.मा.वि. (4) वीर बालिका उ.मा. विद्यालय। इन विद्यालयों में कुल 189 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया और प्रत्येक विद्यालय के प्रथम 3 विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि परीक्षार्थियों को दी गयी पुस्तक को गंभीरता से पढ़ा है और अपनी भाषा में उत्तर लिखा है। यह गांधी जीवन–विचार को समझने में रूचि को दर्शाता है। यह कार्य मित्रों के आर्थिक सहयोग से आयोजित किया गया।

5. **<u>सरकारी योजनाओं–सेवा कार्यक्रमों का प्रभाव का अध्ययन</u>** – केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से पुरुष–महिलाओं के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, उपचार, असहाय लोगों की सहायता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके प्रभाव का नमूने का अध्ययन संस्थान के कार्यक्रम निदेशक द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2024–2025

वित्तीय वर्ष में यह अध्ययन पूरा हो जायेगा। अध्ययन में राजस्थान के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के गांवों को नमूने के अध्ययन (Case Study) के लिए चयनित किया गया है। इस कार्य में ''रजमेरू'' से आर्थिक सहयोग मिला है।

6. **<u>निवाई स्थित लक्ष्मी निधि महिला सहकारी समिति</u>** – कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में सहयोग से महिलाओं की सहकारी समिति का गठन किया गया था। संस्था की ओर से इस कार्य में प्रशिक्षण, एकाउंट संबंधी कार्य में सहयोग आदि कार्य किया जाता रहा है। समिति अब सक्षम हो गयी है और कार्य की पूरी जिम्मेदारी समिति को संभला दी गयी है–इस प्रकार समिति स्वनिर्भर हो गयी है। इस कार्य में संस्था की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक लेनदारी नहीं है।
7. **<u>देवस्थान विभाग में पंजीकरण</u>** – पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, रजिस्ट्रार से पंजीकरण के साथ–साथ सरकार के नियमानुसार देवस्थान विभाग से भी पंजीकरण कराना आवश्यक है। काफी भाग–दौड़ के बाद ''देवस्थान विभाग'' में कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान का पंजीकरण हो गया है–प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है।
8. **<u>शराब मुक्ति सशक्तिकरण चर्चा</u>** – प्रदेश में शराब बन्दी नहीं होने के कारण शराब पीने की छूट है। दूसरी ओर पीनेवाला व्यक्ति, उनके बच्चे, परिवार, गांव, समाज चाहता है कि शराब पीनेवाला शराब पीना छोड़ दे। पीनेवाला व्यक्ति का भी एक मन कहता है कि

शराब पीना छोड़ना है–पर वह छूटता नहीं। ऐसी अनेक सेवा संस्थायें हैं जो शराब पीना छुड़ाने के लिए काम करती हैं–प्रयास करती है। कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। स्वभाविक है कि संस्था चाहता है कि लोग शराब पीना छोड़े ताकि विकास का पूरा लाभ मिले। परिवार, गांव शान्ति से रहे और समग्र विकास को गति मिले। यह कार्य **''एलकोहॉलिक एनॉनिमस''** नामक सक्रिय संस्था लोगों को शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसका मुख्य कार्य है – (1) शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करना (2) जो शराब छोड़ना चाहते हैं उनके साथ चर्चा कर अपना अनुभव सुनाकर प्रेरित करना (3) जिन्होंने शराब पीना छोड़ दी है वे आपस में मिल–बैठ कर मनोबल मजबूत करते रहना और अपने विकास की कथा बताना ताकि नये लोगों का मन मजबूत हो। यह कार्यक्रम विनोबा ज्ञान मंदिर के सद्भावना सहयोग से सप्ताह में 3 दिन, रविवार, सोमवार और गुरुवार को शाम 6 बजे से 7.30 बजे तक होता है। इसमें 5 से 15 व्यक्ति तक आते हैं। इस प्रकार यह पूर्णतः सेवा कार्य है। संभागियों की राय में इस कार्य के लिए यह स्थान तथा संस्था का व्यवहार सद्भावनापूर्ण है–यह प्रेरणाप्रद स्थान है। यह कार्यक्रम वर्ष में लगभग 140 दिन चर्चा के रूप में आपसी मिलन होता है।

Access to Government Schemes and Services
Monetary Benefits to the Community (April 2023 – March 2024)

S. No.	Name of Government Scheme	Benefits	No. of Beneficiaries who have availed benefits till 31st March 2024	Monetary Benefits (in Rs.)
1.	Janadahar Scheme (Bhamashah Scheme)	Janadahar Scheme an end-to-end service delivery platform to transfer cash and non-cash benefits to the targeted beneficiaries in a transparent manner. The Scheme is a family-based programme of financial inclusion, where each family is issued a 'Janadahar Card'. The Card is linked to a bank account that is in the name of lady of the house who is the head of the family. The card leverages bio-metric identification and core banking. Covid Relief of Rs. 2,000/- in two installments of Rs. 500/- and 1,500/-.	124 (new card holder 26 family) 5,00,000/- per family Insurance	The insurance benefit was not availed as there was no death or disability of any member in an accident
2.	Construction Worker's Education and Skill Development Scheme	Scholarship to the children of construction worker's studying in class 6 and above Rs. 4,000 to 35,000 per year per child	11 (new card) all scholarships	6,60,000/-
3.	Subh Shakti Scheme	Support of Rs. 55,000/- in the marriage of girl child of BOCWA card holder for max. 2 girls.	3	1,65,000/-
4.	Saras Salil Scholarship Scheme	Scholarship to the children of construction worker's studying in class 6 and above Rs. 4,000 to 35,000 per year per child. Max. for 2 child.	10 (6000*3,12000*4 9000*3)	93,000/-
5.	National Food Security Act, 2013	Food security to people living below poverty line. 5 kg of wheat per person per month	10 (Total 49 members)	64,680/-

6.	Palanhaar Scheme	Support to orphan children - children upto 5 years – Rs. 500/- pm; 8 years and on admission in school – Rs. 1,000/- pm; annual support Rs. 2000/- per year.	45	1,27,500/-
7.	Indira Gandhi National Widow Pension Scheme	Widow pension of Rs. 1000/- pm for 12 months	30	3,60,000/-
8.	Chief Minister Old Age Pension	Old age pension to men after 58 years, women after 55 years. Pension Rs. 1000/- pm for less than 75 years, Rs. 1500/- pm for more than 75 years. Total for 12 months	26	4,68,000/-
9.	Indira Gandhi National Old Age Pension	Old age pension of Rs. 1500/- pm. Total for 12 months	24	4,32,000/-
10.	Small and Marginal Farmers Scheme (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) GoI	Annual support of Rs. 6,000/- to small and marginal farmers having less than 8 bigha of land.	23	1,38,000/-
11.	Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana - Health Insurance Scheme	Those who are registered under National Food Security Act, 2013 are also eligible for health insurances upto Rs. 25,00,000/- per family & non registered families will have to deposit 50% amount 850/- as annual premium to wards insurance premium only after that they can take advantage of this health insurance scheme.	15	--
12.	Bonafied Certificate	It is a very important document which certifies your place of origin	33	--
13.	Ration Card (new/renew/addition/ correction/seeding)	This document gives details of your family members and their relationship. (10 kg Wheat Per Person per month)	91	--
14.	Police Verification Certificate		10	--
15.	Electricity Bill Deposit		38	--
16.	Caste Certificate		24	--

17.	Certificate for Reservation for Economically Weaker Sections Ordinance, 2019	23	--
18.	**Total**	**540**	**25,08,180/-**

केस – 1

नाम – प्रभाती देवी पत्नी राधेश्याम शर्मा
ग्राम पंचायत – गरूडवासी तहसील – कोटखावदा
ग्राम – गरूडवासी (बालमुकुन्दपुरा)
उम्र – 84 वर्ष
स्कीम – विधवा पेंशन सत्यापन
पेंशन PPO – RJ-A-00711641
पेंशन राशि – 1500/– प्रति माह
यूआईडी नं. – 655575081372

प्रभाती देवी पत्नी राधेश्याम शर्मा, ग्राम गरूडवासी, बालमुकुन्दपुरा की निवासी हैं। इनकी उम्र 84 वर्ष है। इनकी उम्र ज्यादा होने के कारण ये अपनी पेंशन का सत्यापन करवाने के लिए ई–मित्र पर नहीं जा पा रही थी, जिसके कारण इनकी पेंशन पिछले 6 माह से बन्द हो गई थी।

हमारे कार्यकर्ता विनोद बैरवा इनके घर के आसपास किसी कार्य से गये तो उन्हें पता चला कि इनकी पेंशन बन्द हो गई है। हमने इनसे इनका जन आधार वाट्सअप पर मंगवाया और ऑनलाईन चेक किया। केवल सत्यापन के कारण पेंशन बन्द हो गई थी। हमने इनके घर पर सम्पर्क किया और उनसे मिलने का समय तय कर घर पर गये। घर पर जाकर इनकी पेंशन के सत्यापन के लिए इनके अप्रूव्ल लेकर सत्यापन का प्रोसेस चालू किया। इनकी पेंशन सत्यापन प्रक्रिया में काफी समय लगा क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा होने के कारण इनके अंगूठा का निशान नहीं लग पा रहा था। परन्तु हमने अपना प्रयास नहीं छोडा और काफी समय बाद इनके अंगूठा का निशान 78 प्रतिशत लग गया और इनकी पेंशन आना चालू हो गयी जो कि 1500/– रू. प्रति माह है। इनके प्रोसेस चार्ज 50/– लिया गया। इसके लिए संस्थान को धन्यवाद।

केस – 2

नाम	–	रामप्यारी पत्नी रामनिवास जाट
ग्राम पंचायत	–	देहलाला, तहसील कोटखावदा
ग्राम	–	देहलाला जाटो की ढांणी
उम्र	–	79 वर्ष
स्कीम	–	विधवा पेंशन सत्यापन
पेंशन PPO	–	RJ-A-11907664
पेंशन राशि	–	1500/– प्रति माह

रामप्यारी देवी पत्नी रामनिवास जाट, निवासी–देहलाला जाटों की ढांणी की निवासी हैं जो की विधवा है। इनकी उम्र 79 वर्ष है। इनके 3 बेटे हैं और तीनों की शादी हो चुकी है। इनकी उम्र 79 वर्ष है जिसके कारण ये ई–मित्र पर जाकर अपना सत्यापन नहीं करवा पा रही थी। 1–2 बार बेटे को लेकर भी गई परन्तु इनका अंगुठा का निशान नहीं आ रहा था तो सभी निराश हो चुके थे कि अब पेंशन बन्द हो जायेगी।

हमारे संस्था के कार्यकर्ता का इनके घर पर जाना हुआ और वहां पर बातचीत में हमें पता चला कि इनकी पेंशन बन्द हो गई है। हमने इनके घरवालों से इनके डॉक्यूमेंट मांगे और चैक किया। समय मिलने पर 4–5 दिन बाद इनके घरवालों से समय लेकर अपने लैपटॉप व अन्य उपकरण के साथ इनके घर गये और इनके वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया चालू की। काफी समय बाद इनका अंगुठा का निशान आया और इनकी पेंशन चालू हो पाई। जो कि 1500/– रू. प्रतिमाह है। इन्होंने पेंशन चालू होने पर संस्था का बहुत धन्यवाद किया और पेंशन का चार्ज 50/– रू. दिया।

केस – 3

नाम	–	रामजीलाल चौधरी पुत्र जगदीश चौधरी
ग्राम पंचायत	–	डाहर, तहसील–चाकसू
ग्राम	–	सालगरामपुरा
उम्र	–	42 वर्ष
स्कीम	–	श्रमिक कार्ड (श्रम विभाग)
लाभ	–	स्कॉलरशीप
यूआईडी नं.	–	537847651848

रामजीलाल चौधरी पुत्र जगदीश चौधरी, ग्राम पंचायत डाहर, उम्र 42 वर्ष है। रामजीलाल चौधरी ने श्रमिक कार्ड के लिए पहले किसी अन्य व्यक्ति (ई–मित्र) के माध्यम से अपना श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया गया था। परन्तु लगभग 1 वर्ष से उसमें बार–बार send back आता ही जा रहा था और इनका श्रमिक कार्ड बन नहीं पा रहा था। वह ई–मित्र वाला भी कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। बातचीत से पता चला कि इनका send back approval नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनसे अपना कार्ड ऑनलाईन करने की डिटेल मांगी और इनके द्वारा देने पर उसे चेक किया तो send back में 100 दिन नरेगा की डिटेल मांग रहा था। जिसे ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ही देना था क्योंकि एक बार कार्ड निरस्त हो जाने पर दुबारा कभी भी नहीं बनता है। मैंने ग्राम पंचायत के सचिव से बात करके ऑनलाईन डिटेल निकलवाकर उन्हें दिया और उनका कार्ड 3 महिने बाद अप्रुव्ल हो गया। अब वे अपने 2 बच्चों की स्कॉलरशीप का फायदा ले रहे हैं। लाभ 26,000 ⁄ – प्रति वर्ष।

केस – 4

नाम	–	रोशनी देवी पत्नी चिरंजीलाल बैरवा
ग्राम पंचायत	–	बल्लूपुरा, तहसील चाकसू
ग्राम	–	डाहर सालिगरामपुरा
उम्र	–	60 वर्ष
स्कीम	–	नई ओल्ड ऐज पेंशन
लाभ	–	1000/– प्रति माह
जनआधार नं.	–	5012582239

रोशनी देवी पत्नी चिरंजीलाल बैरवा, ग्राम पंचायत–डाहर, त. चाकसू, ग्राम सालिगरामपुरा बैरवा की ढांणी, उम्र 60 वर्ष। ये बहुत गरीब परिवार से है। इनके पति मजदूरी करते हैं और ये भी बेलदारी का काम करती हैं। सरकारी मापदण्ड के अनुसार महिला की पेंशन के लिए उम्र 56 वर्ष होती है। परन्तु इनकी उम्र 60 वर्ष होने के पश्चात भी पेंशन चालू ना होना गलत है। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि कई बार प्रयास के बाद भी इनकी पेंशन चालू नहीं हो पाई और चालू होने के लिए ये बार–बार प्रयास कर रहे थे। हमने इनके डॉक्यूमेंट लेकर चैक किया तो पाया कि इनकी उम्र आधार कार्ड व जनआधार दोनों में अलग–अलग होने के कारण पेंशन चालू नहीं हो पा रही है। तो पहले हमने इनकी जनआधार कार्ड का केवाईसी करवाई और फिर सात दिन बाद इनका नया फार्म ऑनलाईन किया और इनकी अप्रूवल पटवारी व तहसील से करवाकर पेंशन को चालू करवाया। अब 1000/– रू. प्रतिमाह इनको पेंशन मिल रही है जिसका उपयोग ये अपना घर खर्च में लेती हैं।

केस – 5

नाम	–	छोटी देवी पत्नी रामकिशन मीणा
ग्राम पंचायत	–	गरूडवासी तहसील – कोटखावदा
ग्राम	–	गरूडवासी
उम्र	–	68 वर्ष
स्कीम	–	पेंशन योजना (विधवा पेंशन बन्द को पुनः चालू करवाया)
लाभ	–	1000/– प्रति माह
यूआईडी नं.	–	655575081372

छोटी देवी मीणा पत्नी रामकिशन मीणा, निवासी गरूडवासी, उम्र 68 वर्ष, ग्राम पंचायत गरूडवासी कोटखावदा। छोटी देवी पत्नी रामकिशन मीणा की पेंशन जो की वृद्धावस्था पेंशन है। उनको पिछले 11 वर्षों से पेंशन मिल रही थी परन्तु पिछली बार पेंशन सत्यापन किसी अन्य ई–मित्र पर करवाने पर उनकी पेंशन में पुनः विवाह दिखा दिया गया (ई–मित्र वाले की गलती से) जिसके कारण इनकी पेंशन पिछले 8 माह से बन्द हो गयी। इन्होंने इस बन्द पेंशन को चालू करवाने के लिए ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी से मिलकर बहुत प्रयास किये परन्तु सभी ने यही कहा कि एक बार पेंशन पोर्टल पर चढ़ गयी तो अब कुछ नहीं हो सकता है। जब हमारा इनसे सम्पर्क हुआ तो इन्होंने अपनी परेशानी के बारे में हमें बताया तो हमने इनके पीपीओ नं. लेकर प्रक्रिया चालू की और ग्राम पंचायत के संरपच/सचिव से लिखवाकर इनसे एक पत्र बनवाकर उसे विकास अधिकारी से अप्रूव्ल करवाकर पेंशन कार्यालय में आकर पोर्टल पर चढ़वाने का प्रयास किया, परन्तु वह नहीं हो सका। उन्होंने रास्ता बताया कि एस.डी.एम. साहब से अप्रूव्ल करवाकर दें तो चढ़ जायेगा। तो हमने डी.एम. साहब से अप्रूव्ल करवाकर उनकी पेंशन को चालू करवाया। आज इन्हें 1000/– रू. प्रति माह की पेंशन मिल रही है।

केस – 6

नाम	–	रामजी लाल बैरवा पुत्र प्रभु बैरवा
ग्राम पंचायत	–	बडोदिया तहसील – कोटखावदा
ग्राम	–	गरूडवासी (बालमुकुन्दपुरा)
उम्र	–	45 वर्ष
स्कीम	–	खाद्य सुरक्षा
लाभ	–	5 किलो गेहूं/व्यक्ति
	–	5 x7 = 35 किलो गेहूं
राशन कार्ड यूआईडी	–	640066251304

रामजीलाल बैरवा पुत्र प्रभु बैरवा ग्राम बडोदिया, ग्राम कंवरपुरा, उम्र 45, राशन कार्ड में 7 सदस्य। रामजीलाल बैरवा कंवरपुरा निवासी हैं। इनका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं था तो इन्होंने एक वर्ष पहले हमसे खाद्य सुरक्षा का फार्म ऑनलाईन करवाया था। परन्तु उस समय पोर्टल चालू नहीं होने के कारण इनका नाम जुड़ नहीं पाया था। परन्तु अभी सरकार द्वारा 7 दिन के लिए पोर्टल चालू किया गया था, उसमें पिछले एक वर्ष में जितने भी फार्म ऑनलाईन थे उनका सत्यापन करके उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया गया। जिसमें इनका भी नाम शामिल था जिसकी जानकारी हमारे द्वारा इनको दी गई। इसमें सात सदस्य हैं जिनको 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 35 किलो गेहूं हर माह मिल रहा है। पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा भी फ्री में करवा दिया गया है।